न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 310/2019

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. खेतपाल
2. गिता देवी पत्नि स्व. खेतपाल
3. सुनील कुमार पुत्र स्व. धनराज
4. सुमित्रा देवी पत्नि स्व. धनराज

जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

—— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. भादरराम उम्र 90 वर्ष पुत्र स्व. तुलछा जाति जाट साकिन खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुन्दर देवी पुत्री स्व. खेतपाल पत्नि सुरेन्द्र
3. कैलाश देवी पुत्री स्व. खेतपाल पत्नि राजेन्द्र

जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

4. सरोज पुत्री स्व. धनराज पत्नि संदीप जाति जाट साकिन गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
5. कृष्णलाल
6. धनराज

पुत्रगण गिरदावरी पुत्री भादराम पत्नि भागीरथ जाति जाट साकिन 58 आर.बी. गंगूवाला जाटान तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता
2. श्री संन्दीप सैन अधिवक्ता

——वादीगण

—— प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 13.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

तुलछा पुत्र बुधर जाति जाट साकिन खोंथावाली के नाम से चक 31 एमओडी के प.नं. 29/249 (12) किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 29/250 (19) किला नं. 1 ता 15/3.795, 16/.126, 17/.177, 18/.240, 19–20/.506, 21/.152, 22/.127, 23/.139, 24/.202, 25/.253 की 5.717 हैक. कुल 9.512 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी।

श्री तुलछाराम के एक ही पुत्र प्रतिवादी सं.1 भादरराम थे। इसलिये श्री तुलछाराम के फौत होने के बाद वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि भादराम के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 31 एमओडी सलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी सं. 1 के एक पुत्र खेतपाल व एक पुत्री गिरदावरी थो। प्रशनगत भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण भादर के पुत्र पुत्री खेतपाल व गिरदावरी का जन्म से हिस्सा था। इसलिये इस भूमि में ये तीनो ब.हि.ब. के हकदार यानी प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। गिरदावरी देवी ने अपना समस्त हिस्सा अपने भाई खेतपाल को दे दिया था। इसलिये खेतपाल का इस भूमि में 2/3 हिस्सा के खातेदार हुए एवं अपने हिस्सा की भूमि काश्त करते रहे है। खेतपाल पुत्र भादरराम फौत हो चुके है। उनके वारीस वादी सं. 1, 2 प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

सं. 2, 3 व पुत्र धनराज थे। धनराज पुत्र खेतपाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारीस वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 4 है। गिरदावरी पुत्री भादराम भी फौत हो चुकी है। जिसके वारीस प्रतिवादी सं. 5, 6 है। भादरराम पत्नी रामप्यारी भी फौत हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीसनामा खेतपाल, धनराज, गिरदावरी सलग्न वाद पत्र है। यह कि प्रशगनत भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण के पिता, पति का जन्म से हक निहित है। वादीगण के पिता व पति की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये उनका हिस्सा उनके वारीसान में निहित हो चुका है। धनराज पुत्र खेतपाल की मृत्यु सन 2004 में हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद इस पैतृक सम्पति का घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारा में प्रतिवादी सं.1 भादरराम जो काफी वृद्ध है व 90 वर्ष की उम्र है उन्होने इस भूमि में अपना हिस्सा नही लिया है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 में भी प्रशनगत भूमि में कोई हिस्सा नही लिया है। समस्त प्रतिवादीगण में अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। इस बंटवारा में वादी सं. 1 राजेन्द्र को 3.618 हैक., वादीया सं. 2 गीता देवी को 2.277 हैक., वादी सं. 3 सुनील को 1.809 हैक., वादीया सं. 4 सुमित्रा देवी को 1.808 हैक. भूमि प्राप्त हुई है। इसी घरू बंटवारा के मुताबिक वादीगण बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित 9.512 हैक. भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। इस भूमि के वादीगण वाद पत्र की दफा 6 के मुताबिक खातेदार काश्तकार है परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है जिससे वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण घोषणा पाने के हकदार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह घरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है। अर्जीदावा श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

लिहाजा इस्तदुआ है कि वाद वादी बाद जांच जाब्ता दीवानी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:–

(क). घोषित किया जावे कि चक 31 एमओडी के प.नं. 29/249 (12) किला नं 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 29/250 (19) किला नं. 1 ता 15/3.795. 16/.126, 17/.177, 18/.240, 19–20/.506, 21/.152, 22/.127, 23/.139, 24/.202, 25/.253 की 5.717 हैक. कुल 9.512 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में वादी सं.1 राजेन्द्र को 3.618 हैक., वादीया सं. 2 गीता देवी को 2.277 हैक., वादी सं. 3 सुनील को 1.809 हैक., वादीया सं. 4 सुमित्रा देवी को 1.808 हैक. भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(ख). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग). अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :–

Scanned by CamScanner

तुलछा पुत्र बुधर जाति जाट साकिन खोंथावाली के नाम से चक 31 एमओडी के प.नं. 29/249 (12) किला नं. 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 29/250 (19) किला नं. 1 ता 15/3.795, 16/.126, 17/.177, 18/.240, 19–20/.506, 21/.152, 22/.127, 23/. 139, 24/.202, 25/.253 की 5.717 हैक. कुल 9.512 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी।

प्रतिवादी सं. 1 के एक पुत्र खेतपाल व एक पुत्री गिरदावरी थी। प्रशनगत भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण भादर के पुत्र पुत्री खेतपाल व गिरदावरी का जन्म से हिस्सा था। इसलिये इस भूमि में ये तीनो ब.हि.ब. के हकदार यानी प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। गिरदावरी देवी ने अपना समस्त हिस्सा अपने भाई खेतपाल को दे दिया था। इसलिये खेतपाल का इस भूमि में 2/3 हिस्सा के खातेदार हुए एवं अपने हिस्सा की भूमि काश्त करते रहे है। खेतपाल पुत्र भादरराम फौत हो चुके है। उनके वारीस वादी सं. 1, 2 प्रतिवादी सं. 2, 3 व पुत्र धनराज थे। धनराज पुत्र खेतपाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारीस वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 4 है। गिरदावरी पुत्री भादराम भी फौत हो चुकी है। जिसके वारीस प्रतिवादी सं. 5, 6 है। भादरराम पत्नी रामप्यारी भी फौत हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीसनामा खेतपाल, धनराज, गिरदावरी सलग्न वाद पत्र है। यह कि प्रशगनत भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण के पिता, पति का जन्म से हक निहित है। वादीगण के पिता व पति की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये उनका हिस्सा उनके वारीसान में निहित हो चुका है। धनराज पुत्र खेतपाल की मृत्यु सन 2004 में हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद इस पैतृक सम्पति का घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारा में प्रतिवादी सं.1 भादरराम जो काफी वृद्ध है व 90 वर्ष की उम्र है उन्होने इस भूमि में अपना हिस्सा नही लिया है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 में भी प्रशनगत भूमि में कोई हिस्सा नही लिया है। समस्त प्रतिवादीगण में अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। इस बंटवारा में वादी सं. 1 राजेन्द्र को 3.618 हैक., वादीया सं. 2 गीता देवी को 2.277 हैक., वादी सं. 3 सुनील को 1.809 हैक., वादीया सं. 4 सुमित्रा देवी को 1.808 हैक. भूमि प्राप्त हुई है। इसी घरू बंटवारा के मुताबिक वादीगण बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। यह कि वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष में उक्त राजीनामा अपने पूर्ण होश हवास व सहमति से बिना किसी दवाव व वहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक

Scanned by CamScanner

08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र का अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में भी जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक 31 एमओडी के प.नं. 29/249 (12) किला नं 11 ता 25 की 3.795 हैक., प.नं. 29/250 (19) किला नं. 1 ता 15/3.795, 16/.126, 17/.177, 18/.240, 19–20/.506, 21/.152, 22/.127, 23/.139, 24/.202, 25/.253 की 5.717 हैक. कुल 9.512 हैक. भूमि में वादी सं. 1 राजेन्द्र को 3.618 हैक., वादीया सं. 2 गीता देवी को 2.277 हैक., वादी सं. 3 सुनील को 1.809 हैक., वादीया सं. 4 सुमित्रा देवी को 1.808 हैक. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की क़िस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner